न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः— 107/2018

प्रार्थीः— हनुमानराम पुत्र चैनाराम, जाति—जाट, निवासी— ग्राम लोरड़ी देजगरा तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः— राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांकः— 12-1-2021

उपस्थितिः— श्री गोपाल कृष्ण चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

सरकारी पैरोकार अप्रार्थी।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर बताया गया कि मौजा **लोरड़ी देजगरा** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** में वह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में **हडमानराम** दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही का नाम **हनुमानराम** है, साक्ष्य के तौर पर स्वंय/पिता का उनके द्वारा **पहचानपत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र** पेश किये गये हैं एवं निवेदन किया गया कि उसका/पिता का नाम **हनुमानराम** अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्धिकरण किया जावे।

भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब पेश कर स्वीकार किया गया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना—पत्र अनुसार स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना—पत्र व जवाब के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी नाम **हड़मानराम** मौजा **लोरड़ी देजगरा** तहसील व जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 75, 76, 76/1** राजस्व रेकर्ड **हनुमानराम** अंकित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड नाम शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 12/1/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर